



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062020-220257
CG-DL-E-29062020-220257

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1883]
No. 1883]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2020/आषाढ 8, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2020/ASADHA 8, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

का. आ. 2128 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना का.आ. 79(अ) तारीख 03 फरवरी 1997 की अधिसूचना का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात :-

“6. डा. सी.डी. त्रिपाठी, प्राचार्य, एमेरिटस
फार्मोकोलोजी विभाग वी.एम.एम.सी और एसजे
अस्पताल, नई दिल्ली।

सदस्य”।

[फा. सं.13029 /02/2019-पीपी-1)]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में का. आ. 79(अ), तारीख 03 फरवरी, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3278(अ), तारीख 13 सितंबर 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2020

S. O. 2128(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation vide, number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997, namely:-

In the said notification, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“6. Dr. C.D. Tripathi, Professor Emeritus,
Department of Pharmacology, VMMC and SJ
Hospital, New Delhi. Member”.

[F. No. 13029/02/2019-PP-I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy. Plant Protection

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 79(E), dated the 3rd February, 1997 and was last amended vide number S.O. 3278(E), dated the 13th September, 2019.